पत्र सूचना शाखा
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0

राज्यपाल ने पूर्व मंत्री पर अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की

लखनऊ: 9 अक्टूबर, 2018

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक ने चौधरी मो0 बशीर, पूर्व विधायक/पूर्व राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), उत्तर प्रदेश के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत अभियोजन चलाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में पत्रावली राज्यपाल की स्वीकृति हेतु प्रेषित की गयी थी जिसके विधि परीक्षणोपरांत राज्यपाल ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। चौधरी मो0 बशीर पूर्व विधायक/पूर्व राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), उत्तर प्रदेश के विरूद्ध वर्ष 2002-03 से 2006-07 की अवधि में जनपद आगरा में विभिन्न विश्वविद्यालयों के प्रबंधकों एवं अधिकारियों की मिलीभगत से बिना विद्यालय निर्माण कराये विधायक निधि से करोड़ो रूपये अवमुक्त कराकर गबन एवं शासन को क्षति पहूंचाने के आरोप थे, जिसकी शिकायत लोकायुक्त से की गई थी। लोकायुक्त ने चौधरी मो0 बशीर एवं अन्य को दोषी पाते हूये 26 सितम्बर, 2007 को उत्तर प्रदेश शासन को रिपोर्ट प्रस्तुत की जिस पर कार्यवाही करते हूये शासन द्वारा 30 जनवरी, 2008 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के निर्देश दिये गये। चौधरी मो0 बशीर एवं अन्य 4 के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता धारा 409, 420, 467, 468, 471, 120बी एवं धारा 13(1)डी सपठित धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत थाना ताजगंज, आगरा में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। उत्तर प्रदेश सर्तकता अधिष्ठान आगरा द्वारा चौधरी मो0 बशीर एवं अन्य 4 के विरूद्ध की गई जांच में आरोपों को सही पाते हूये अपनी रिपोर्ट 9 मई, 2014 उत्तर प्रदेश शासन को प्रेषित की गयी थी। राज्य सरकार ने चौधरी मो0 बशीर द्वारा वित्तीय वर्ष 2002-03 से 2006-07 के दौरान विधायक/राज्यमंत्री उत्तर प्रदेश के रूप में विधायक निधि से रूपये 1,42,29,600 के गबन के संबंध में राज्यपाल से भारतीय दण्ड संहिता धारा 409, 420, 467, 468, 471, 120बी एवं धारा 13(1)डी सपठित धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अपराध में अभियोजन चलाने हेतु स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया था।

अंजुम/ललित/राजभवन (391/16)